

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या MAT/10259/2019-2020

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि प्रथम पहल फाउन्डेशन, 21, 22 बी0 एम0 कॉम्प्लैक्स मसानी तिराहा मथुरा, मथुरा, 281001 को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
यह प्रमाण पत्र दिनांक 23/02/2025 तक विधिमान्य होगा।
आज दिनांक 24/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।



Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)

8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4

Date: 24/02/2020 1:35:59 PM, Location: Agra.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

सत्य प्रतिलिपि

24/2/2020

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उप निबंधक फर्मा सोसाइटीज एवं चिदस
आगरा क्षेत्र, आगरा

24/2/2020

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : प्रथम पहल फाउन्डेशन
 संस्था का पता / Society's Address : 21, 22 बी0 एम0 कॉम्प्लैकस मसानी तिराहा मथुरा, Mathura, 281001
 संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : सम्पूर्ण मथुरा एवं उत्तर प्रदेश होगा
 संपर्क संख्या / Contact Number : 9637975343

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य

से सम्बंधित हैं)

1. संस्था का उद्देश्य सर्व समाज के लोगों के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये नये अस्पताल खोलना, निर्माण करना, अस्पतालों का संचालन करना, लागत मूल्य पर औषधि केन्द्र एवं धर्मार्थ दवाखाने खोलना गर्भवती महिलाओं के लिये मातृत्व गृह की स्थापना करना, बाल कल्याण केन्द्र खोलना जिससे समाज के प्रत्येक गरीब, मजदूर एवं जरूरत मंद व्यक्ति को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा सकें।
2. संस्था का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ-साथ गरीब, निर्धन वंचित एवं शोषित लोगों के लिये भी बेहतर इलाज, दवायें एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।
3. संस्था का उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों के इलाज के लिये आवश्यक एवं जरूरी विभिन्न शारीरिक जांचों हेतु आधुनिक उपकरणों एवं मशीनों वाली लैब एवं प्रयोगशाला स्थापित करना अथवा सरकार के द्वारा संचालित इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हुये इस उद्देश्य को पूरा करना।
4. संस्था का उद्देश्य समाज में व्याप्त विभिन्न जटिल एवं मौसमी बीमारियों टी0 बी0, मलेरिया, हैजा, चेचक, मधुमेह इत्यादि के समूल निदान के लिये समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इन बीमारियों से बचाव के तरीके बताना और समय-समय पर योग्य चिकित्सकों के साथ कैम्प लगाना और विधालयों, बस्तियों एवं फैक्ट्रियों आदि में जाकर लोगों को टीके आदि लगवाना एवं उपचार उपलब्ध कराना।
5. संस्था का उद्देश्य घायल एवं जरूरत मंद लोगों के जीवन रक्षा करने हेतु खून की आवश्यकता होने पर उन्हें खून उपलब्ध कराना, जिसके लिये विभिन्न स्थानों पर ब्लड बैंकों की स्थापना करने व करवाने के साथ समय-समय पर ब्लड डोनेशन कैम्पों का संचालन करना एवं लोगों को अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन के महत्व व आवश्यकता के विषय में जागरूकता लाना।
6. संस्था का उद्देश्य स्वयं एवं आवश्यकता पड़ने पर सरकारी सहायता से समाज में व्याप्त असाध्य रोगों जैसे कोढ़, एड्स एवं कैंसर जैसी घातक बीमारियों का उपचार, निदान एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये स्वयं संस्था द्वारा अथवा सरकार के सहयोग से विशेष अस्पतालों की स्थापना एवं संचालन करना एवं उपचार के लिये आवश्यक दवाओं, तकनीकी मशीनों व चिकित्सकों की व्यवस्था करना।
7. संस्था का उद्देश्य अच्छे, सात्विक एवं शाकाहारी खानपान के महत्व से युवाओं व लोगों को अवगत कराने के लिये कैम्पों, सेमिनारों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना एवं जनजागरूकता अभियान चलाना कि किस प्रकार लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित जंकफूड एवं मांसाहार से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं एवं असमय मोटापे, रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जिससे लोग इन सबसे अपना बचाव कर सकें।
8. संस्था का उद्देश्य स्वयं एवं सरकारी सहायता से आधुनिक एवं वैज्ञानिक (ऐलोपैथी) तरीकों से उपचार एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ प्राचीन भारतीय आयुर्वेद विज्ञान एवं योग विज्ञान के माध्यम से भी लोगों को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिये आयुर्वेद अस्पतालों का निर्माण एवं स्थापना करना एवं आयुर्वेदाचार्यों की नियुक्ति करना।
9. संस्था का उद्देश्य स्वयं एवं सरकारी सहायता से अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न योग विधालयों की स्थापना एवं संचालन करना एवं योगिक क्रियाओं व्यापक मात्रा में प्रचार-प्रसार करने के साथ प्राचीन भारतीय योग विज्ञान पद्धति से लोगों को अवगत कराना।
10. संस्था का उद्देश्य जन्मांध, मूक-बधिर, अपाहिज एवं दिव्यांग अथवा हादसों के शिकार लोगों का उपचार करना, उनके लिये आवश्यक कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करना अथवा सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का दान-अनुदान या आर्थिक सहायता दिलवाना।
11. संस्था का उद्देश्य गरीब व जरूरत मंद लोगों के लिये मुफ्त अथवा रियायती या लागत मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वयं या सरकारी सहायता से दवाखाने/मैडीकल खोलना।
12. संस्था का उद्देश्य समाज में अपेक्षित किये गये वृद्ध, अनाथ बच्चे, एवं विधवा महिलाओं की प्रत्येक प्रकार से चिकित्सा, भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था एवं सहायता उपलब्ध कराना।
13. संस्था का उद्देश्य सर्व समाज के गरीब व जरूरत मंद लोगों के लिये विधालयों व कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन करना जिससे गरीब बच्चों को भी बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके लिये स्वयं अथवा सरकारी सहयोग से ये कार्य करने के साथ गरीब एवं होनहार विद्यार्थियों को किसी अच्छे कॉलेज में बिना किसी फीस के प्रवेश

uprfsc.gov.in/ferrate/chat/print_memo.aspx

Atul Kumar

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उप निदेशक फार्मसोसाइटीज एवं चिकित्सा

आगरा क्षेत्र, आगरा

1/4

दिलाना अथवा छात्रवृत्ति दिलाना।

14. संस्था का उद्देश्य मूक बधिर एवं दिव्यांग जनों के लिये विशिष्ट विधालयों की स्थापना एवं अध्यापकों की व्यवस्था करना।

15. संस्था का उद्देश्य वर्तमान में भारतीय समाज में प्रचलित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत एवं समाज में लैंगिक अनुपात विषमता में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के महत्व से समाज को अवगत कराना एवं निर्धन वर्ग के लोगों द्वारा आय न होने कारण की जाने वाली कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकना एवं कन्याओं का तालन-पालन करने में अक्षम परिवारों को कन्याओं के पालन पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा, चिकित्सा हेतु आर्थिक मदद देना एवं विभिन्न सरकारी स्रोतों से मदद उपलब्ध कराना।

16. संस्था का उद्देश्य समाज में विवाह योग्य गरीब व निर्धन युवकों एवं कन्याओं के विवाह के लिये आर्थिक मदद उपलब्ध कराना एवं समय-समय पर सामूहिक विवाह सम्मेलन अथवा महोत्सव आयोजित करना आदि।

17. संस्था का उद्देश्य स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत का निर्माण करना है गली माहल्ला सड़क नदियाँ आदि में व्याप्त गन्दगी से ही अनकों बीमारियाँ फैलती हैं इसलिये पूरे वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिये लोगों को साफ सफाई से रहने एवं सफाई करने के लिये जागरूक करना और सरकार तथा जनता की मदद से मलिन बस्तियों गन्दे इलाकों आदि की समय-समय पर अभियान चला कर साफ-सफाई करवाना एवं गन्दगी फैलने से रोकने के लिये कूड़ाघर आदि की स्थापना करवाना।

18. संस्था का उद्देश्य आवारा, घायल, भूखे, बीमार एवं भटके हुये वन्य जीवों और पशु-पक्षियों को चिकित्सा, भोजन, जल एवं संरक्षण (वन्य विभाग के माध्यम से) उपलब्ध करवाना और उनकी सेवा भावना समाज में विकसित करना है जिससे समाज के लोगों में पशु-पक्षियों के प्रति भी प्रेम एवं दया भावना जागृत हो।

19. संस्था का उद्देश्य बाल विकास सुरक्षा एवं संरक्षण जिसके अन्तर्गत गरीब, निर्धन व मजदूर वंचित एवं मुख्य धारा से कटे हुये वर्ग (आदिवासी) बच्चों-बच्चियों को कुपोषण से बचाने के लिये आवश्यक कदम उठाना जिससे गंभीर बीमारियों से उनका बचाव हो सके, एवं उनकी रुचि और योग्यतानुसार शिक्षा उपलब्ध कराना, कॉपी-किताब, स्कूल बैग, यूनीफॉर्म एवं भोजन इत्यादि के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना आदि।

20. संस्था का उद्देश्य सटी गरीबों बरसात इत्यादि के मौसम में बेसहारा लोगों के लिये स्वयं अथवा सरकारी सहायता से आश्रय प्रदान करने आदि की स्थापना करना एवं करवाना।

21. संस्था का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प सूखा आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिये अस्थाई आवास के रूप में स्थापना करने के साथ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि समस्त प्रकार की सहायता उपलब्ध करना एवं करवाना।

22. संस्था का उद्देश्य वृद्ध एवं बेसहारा लोगों के लिये वृद्धाश्रमों की एवं अनाथ तथा लावारिस बच्चों के लिये अनाथ आश्रमों की स्वयं के द्वारा अथवा सरकारी सहायता के माध्यम से वृद्धाश्रमों एवं अनाथालयों की स्थापना करना एवं करवाना।

23. संस्था का उद्देश्य विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों कल्याणकारी योजनाओं जैसे बाल विकास, गरीबों को आवास उपलब्ध कराना, विधार्थियों को छात्रवृत्ति दिलवाना आदि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ जरूरतमंद लोगों को इन सुविधाओं का लाभ दिलवाने के लिये निःशुल्क कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा जन सुविधा केन्द्र खोलकर लोगों की मदद करना आदि।

24. संस्था का उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार दिलाने, लघु एवं कुटीर उद्योग खोलने व आत्मनिर्भर बनाने हेतु, स्वयं अथवा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजनाओं के अन्तर्गत कंप्यूटर शिक्षण, तकनीकी, औद्योगिक प्रशिक्षण, आर्किटेक्चर, फैशन डिजायनिंग, आईटीआईआई एवं पॉलीटेक्निक, वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आदि कोर्स कराने के सेन्टर खोलना व युवाओं की रोजगारी सम्बन्धी समस्याओं को दूर करना आदि।

25. संस्था ऐसे पाठ्यक्रमों का न तो संचालन करेगी और न ही कोई उपाधि व प्रमाण पत्र प्रदान करेगी जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा संस्थापित बोर्डों/विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। संस्था ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है /
Details of office bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	सीए अमित अग्रवाल	श्री सतीश चन्द अग्रवाल	101 श्रद्धा अपार्टमेंट मसानी, मथुरा	संस्थापक अध्यक्ष	सी0ए0	9637975343		
2.	योगेश अग्रवाल	श्री गिराज किशोर अग्रवाल	एच0आई0जी 22 महाविद्या कॉलोनी, मथुरा	उपाध्यक्ष	व्यापार	9412281057		
3.	सचिन अग्रवाल	श्री महेश अग्रवाल	100 एफ, गोविन्द नगर, सेक्टर 1, मथुरा	उपाध्यक्ष	व्यापार	9412281057		
4.	प्रियेश अग्रवाल	श्री शिवशंकर अग्रवाल	मोती मंजिल एन.एच-2, मथुरा	उपाध्यक्ष	आर्थिक सलाकार	9557000776		

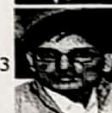
uprfsc.gov.in/ferrate/chat/print_memo.aspx

सत्य प्रतिलिपि

2/4

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उप निबंधक फर्मा सोसाइटी एवं विदेशी आगरा क्षेत्र, आगरा

5.	सुनील कुमार गुप्ता श्री जे पी गुप्ता	108 श्रद्धा अपार्टमेंट मसानी, मथुरा	उपाध्यक्ष	व्यापार	9897023425		<i>Sunil K.</i>
6.	डा० पंकज गुप्ता श्री राममोहन गुप्ता	ए०-82 श्री राधापुरम, मथुरा	महामंत्री	डाक्टर	9837041166		<i>Pankaj Gupta</i>
7.	अरविन्द विग श्री नन्द किशोर विग	17 बी० कृष्णानगर, मथुरा	उपमहामंत्री	व्यापार	9927089696		<i>Arvind Vign</i>
8.	मनोज कुमार अग्रवाल श्री मुरारी लाल अग्रवाल	745, गऊघाट, लाल दरवाजा, मथुरा	कोषाध्यक्ष	व्यापार	9997774447		<i>Manoj Kumar</i>
9.	सी०ए० संजय अग्रवाल श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल	मोती मंजिल एन.एच-2, मथुरा	ऑडिटर	सी०ए०	9761666997		<i>Smt. Sanjay</i>
10.	एड० मोती लाल अग्रवाल स्व० श्री मोहनलाल अग्रवाल पीली कोठी मसानी, मथुरा		सदस्य	अधिवक्ता	9837414202		<i>Adm. Moti Lal</i>
11.	अतुल कुमार टालीवाल श्री ओम प्रकाश टालीवाल	195 राधा ऑर्चिड मसानी, मथुरा	सदस्य	व्यापार	9219535313		<i>Atul Kumar</i>
12.	प्रदीप सामरिया श्री चन्द्रभान सामरिया	जयसिंह पुरा मथुरा	सदस्य	व्यापार	9359510800		<i>Pradeep Samaria</i>
13.	डा० शिव दत्त शर्मा श्री शक्तिपाल शर्मा	149, मथुरा हाथरस रोड, राजेश्वरी अस्पताल, के. पास, मथुरा	सदस्य	डाक्टर	9897423322		<i>Shiv Dutt</i>
14.	सुशील अग्रवाल श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	अशोका हाईट गनेशरा रोड, मथुरा	सदस्य	अधिवक्ता	8923706626		<i>Sushil Agrawal</i>
15.	चन्द्रपाल सिंह निषाद श्री नत्थी लाल निषाद	गांव दौलतपुर पो० नौहड्डी तहसील मांट, मथुरा	सदस्य	सर्विस	9720952423		<i>Chandrapal Singh</i>
16.	प्रमोद श्री राधा चरन	लाल दरवाजा, मथुरा	सदस्य	व्यापार	0		<i>Pramod</i>
17.	सुनील कुमार अग्रवाल श्री पुरुषोत्तम दास कुमार एच.आई.जी. 21, फेस 1 महाविद्या कॉलोनी, जयसिंहपुरा, मथुरा		सदस्य	व्यापार	0		<i>Sunil Kumar</i>

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
----------	-----	-----------------	-----	---------

[Handwritten signatures and names of members]

uprfsc.gov.in/ferrate/chat/print_memo.aspx

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उप निबंधक फार्म सोसाइटीज एवं चिह्न

आगरा क्षेत्र, आगरा

9897023425

9837041166

9927089696

9997774447

9761666997

9837414202

9219535313

9359510800

9897423322

8923706626

9720952423

0

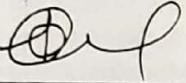
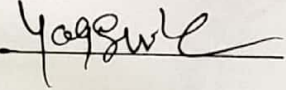
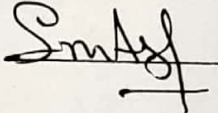
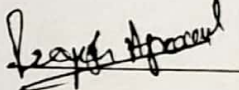
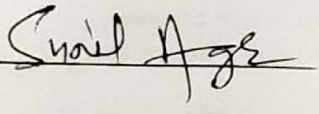
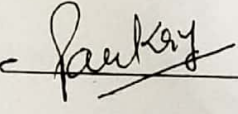
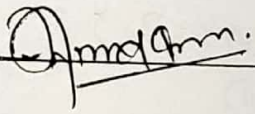
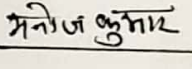
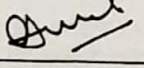
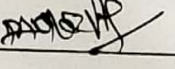
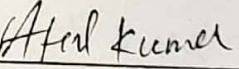
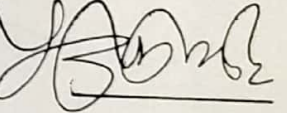
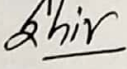
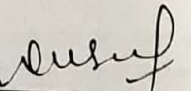
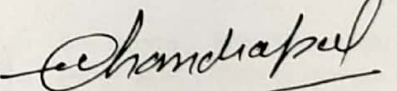
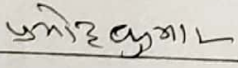
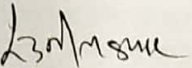
0

1.	सी0ए0 अमित अग्रवाल	श्री सतीश चन्द अग्रवाल	101 श्रद्धा अपार्टमेंट मसानी, मथुरा	सी0ए0
2.	योगेश कुमार अग्रवाल	श्री गिराज किशोर अग्रवाल	एच0आई0जी 22 महाविद्या कॉलोनी, मथुरा	व्यापार
3.	सचिन अग्रवाल	श्री महेश अग्रवाल	100 एफ, गोविन्द नगर, सेक्टर 1, मथुरा	व्यापार
4.	प्रियेश अग्रवाल	श्री शिवशंकर अग्रवाल	मोती मंजिल एन.एच-2, मथुरा	आर्थिक सलाकार
5.	सुनील कुमार गुप्ता	श्री जे पी गुप्ता	108 श्रद्धा अपार्टमेंट मसानी, मथुरा	व्यापार
6.	डा0 पंकज गुप्ता	श्री राममोहन गुप्ता	ए0-82 श्री राधापुरम, मथुरा	डाक्टर
7.	अरविन्द विग	श्री नन्द किशोर विग	17 बी0 कृष्णानगर, मथुरा	व्यापार
8.	मनोज कुमार अग्रवाल	श्री सुरारी लाल अग्रवाल	745, गऊघाट, लाल दरवाजा, मथुरा	व्यापार
9.	सी0ए0 संजय अग्रवाल	श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल	मोती मंजिल एन.एच-2, मथुरा	सी0ए0
10.	एड0 मोती लाल अग्रवाल	स्व0 श्री मोहनलाल अग्रवाल	पीली कोठी मसानी, मथुरा	अधिवक्ता
11.	अतुल कुमार टालीवाल	श्री ओम प्रकाश टालीवाल	195 राधा ऑर्चिड मसानी, मथुरा	व्यापार
12.	प्रदीप सामरिया	श्री चन्द्रभान सामरिया	जयसिंह पुरा मथुरा	व्यापार
13.	डा0 शिव दत्त शर्मा	श्री शक्तिपाल शर्मा	149, मथुरा हाथरस रोड, राजेश्वरी अस्पताल, के पास, मथुरा	डाक्टर
14.	सुशील अग्रवाल	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	अशोका हाईट गनेशरा रोड, मथुरा	अधिवक्ता
15.	चन्द्रपाल सिंह निषाद	श्री नत्थी लाल निषाद	गांव दौलतपुर पो0 नौहड़ील तहसील साद, मथुरा	सर्विस
16.	प्रमोद	श्री राधा चरन	लाल दरवाजा, मथुरा	व्यापार
17.	सुनील कुमार अग्रवाल	श्री पुरुषोत्तम दास कुमार अग्रवाल	एच.आई.जी. 21, फेस 1 महाविद्या कॉलोनी, जयसिंहपुरा, मथुरा	व्यापार



हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।
दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उच्च शिक्षण फार्मा सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

29/2/2020

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	प्रथम पहल फाउन्डेशन
संस्था का पता / Society's Address :	21, 22 बी0 एम0 कॉम्प्लेक्स मसानो तिराहा मथुरा, Mathura, 281001
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	सम्पूर्ण मथुरा एवं उत्तर प्रदेश होगा
संपर्क संख्या / Contact Number :	9637975343

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	5100	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
विशेष सदस्य / Special Member	0	संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयनित करती है उनके लिए सदस्यता शुल्क का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी
संरक्षक सदस्य / Patron Member	7100	संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिये इनके द्वारा संस्था के कोष में दी गयी चल या अचल सम्पत्ति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा
सामान्य सदस्य / General Member	1100	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।



संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :

साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, विशेष सदस्य / Special Member, संरक्षक सदस्य / Patron Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

बैठके / Meetings :

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

सूचना अवधि / Notice period :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।

गणपूर्ति / Quorum :

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General 1. संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तारीख 01 अप्रैल अथवा संस्था की

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side.

Meeting Date :

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body :

कार्यकारिणी समिति के बहुमत से जो तय की जावेगी होगी। 2. चुनाव की बैठक प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात् 31 मार्च तक हुआ करेगी 30 अप्रैल तक चुनाव होंगे मई से नया मंत्रिमंडल दायित्व संभालेगा। 1. संस्था की गतिविधियों का संचालन व देख रेख करना 2. नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन साधारण सभा 2/3 बहुमत से करना। 3. संस्था की प्रबन्धसमिति का समय-समय पर चुनाव सम्पन्न करना। 4. प्रति तीसरे वर्ष सभा के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना। 5. संस्था के आगामी वर्ष के वार्षिक बजट पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना। तथा गत वर्ष के आय व्ययों को स्वीकृति प्रदान करना एवं भावी वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। 6. संस्था की उन्नति व विकास की योजनायें तैयार करना एवं समीक्षा करना। 7. संस्था के लिये आवश्यक प्रत्येक स्थायी अस्थाई सम्पत्ति का विश्लेषण करना एवं उनकी खरीद बिक्री सुनिश्चित करना। 8. संस्था की प्रदेश भर में चलने वाली शाखाओं एवं संस्था के अधीन चल रही अन्य संस्थाओं के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना। 9. कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, उपनियम बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थिति के दो तिहाई बहुमत से सभा की नियमावली में संशोधन करना। 10. विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन अवधि को बढ़ाना। 11. किसी निर्वाचित पदाधिकारी के त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव अथवा सदस्यता किये जाने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति करना। 12. सभा के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा किसी भी एक निर्वाचित पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव साधारण सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र पर लाया जा सकता है। 13. सभा के सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में साधारण सभा 5 सदस्यों की एक एडहॉक कमेटी का निर्माण करेगी, जो स्वयं कार्य संचालन करे या 1 माह में नवीन चुनाव कराकर कार्यभार नवीन कार्यकारिणी समिति को सौंप देगी।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :

सूचना अवधि / Notice period :

बैठके / Meetings :

गणपूर्ति / Quorum :

प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :

कार्यकाल / Tenure :

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body :

प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें उपमहामंत्री-1, उपाध्यक्ष-4, ऑडिटर-1, कोषाध्यक्ष-1, महामंत्री-1, सदस्य-8, संस्थापक अध्यक्ष-1 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 17 होगी।

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी।

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना। 2- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन परिवर्तन, साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना। 3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। 4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, बैंकों, प्रतिष्ठानों निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों पर खर्च करना। 5- संस्था के विकास हेतु संस्था की शाखाओं, उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना। 6- सभा एवं विकास समिति के आय-व्यय पर नियंत्रण रखना एवं साल भर का ऑडिट हुआ हिसाब स्वीकृत करना व प्रत्येक वर्ष का हिसाब प्रकाशित करना।

प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा।

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कराया जायेगा।

upnse.gov.in/ferrate/chat/print_byelaws.aspx

Atul Kumer

Chandrapal

मनोज कुमार

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय निदेशक

आगरा क्षेत्र, आगरा

29/2/2020

2/4

2/4

2/4

2/4

2/4

संस्थापक अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

महामंत्री

उपमहामंत्री

कोषाध्यक्ष

ऑडिटर

सदस्य



- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की बैठकों एवं मीटिंगों में उपस्थित होकर बैठकों एवं मीटिंगों की अध्यक्षता करना। 2- संस्था की मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना। 3- सदस्यों की मांग पर संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। 4- संस्था के कार्यों की देखरेख करना एवं उपाध्यक्ष एवं महामंत्री को आवश्यक निर्देश देना आदि।
- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना। 2- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष को प्राप्त समस्त अधिकारों को प्रयोग में लाना एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना 3- उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों क्रियान्वित करने के साथ अध्यक्ष का सहयोग करना। 4- अध्यक्ष को संस्था के संचालन में सहयोग करना।
- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना। 2- संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना। 3- संस्था के कार्यक्रमों की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान-अनुदान, चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना आवश्यकतानुसार बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना। 4- संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना। 5- संस्था के अंतर्गत संचालित चिकित्सालय, अस्पतालों, दवाखानों, विद्यालयों एवं अन्य सभी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा की शर्तों के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना, कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न हुये विवादों का निस्तारण करना। 6- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना व अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना तथा अध्यक्ष को समस्त कार्यवाही से सूचित करना एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अध्यक्ष से परामर्श एवं दिशा निर्देश प्राप्त करना। 7- संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, बैंकों, ड्राफ्टों, विलेखों बिल-बाउचरों पर हस्ताक्षर करना। 8- संस्था के दैनिक कार्यों के संचालन के लिये आपने कोष में 50,000.00 रुपये अधिकतम नगद रखना जिसमें से 20,000.00 नगद खर्च करना तथा उससे ऊपर के किसी भी व्यय का भुगतान नगद करने के लिये कार्य कारिणी की स्वीकृति आवश्यक होगी। 9- महामंत्री को कार्य संचालन के लिये अपने कार्यों में सहयोग करने के लिये संस्था की आवश्यकता एवं स्वरूप के अनुसार विभागीय मंत्री नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार भी होगा।
- 1- महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना। 2- सामान्य स्थिति में उनके कार्यों में उनको सहयोग करना। 3- महामंत्री के निर्देशों का पालन करना। 4- महामंत्री द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना और उनके प्रत्येक कार्य में सहयोग करना
- 1- संस्था के आय व्यय का विवरण रखना। 2- संस्था के सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना एवं रसीद जारी करना। 3- संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक प्रकार के दान अनुदान चन्दा इत्यादि प्राप्त करना एवं नियमित रूप से बैंक में जमा कराना। 4- संस्था को प्राप्त किसी भी दान अनुदान चन्दा इत्यादि का दैनिक रूप से हिसाब किताब एवं लेखा रखना तथा प्राप्त किसी भी राशि को अपने व्यक्तिगत प्रयोग में न लाना। 5- अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं महामंत्री के कार्यों में उन्हें सहयोग प्रदान करना। 6- संस्था द्वारा किये जाने वाले किसी भी भुगतान को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महामंत्री से स्वीकृत कराना एवं संस्था के पास उपलब्ध कोष के अनुसार ही किये जाने वाले भुगतान के लिये नियमों का निर्माण करना एवं सख्ती से पालन करना। 7- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महामंत्री द्वारा द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना। 8- बिना बिल प्राप्त किये मौखिक आधार पर किसी का भुगतान न करना।
- 1- संस्था के द्वारा रखे जाने वाले लखों का निरीक्षण करना। 2- संस्था के द्वारा किये जा रहे खर्चों का अवलोकन करना एवं अनुचित खर्चों पर अपनी राय रखना जिसकी सूचना अध्यक्ष एवं सचिव को अथवा मीटिंग्स में सदस्यों को देना। 3- संस्था में हो रहे किसी भी प्रकार के हो रहे अनावश्यक व लापरवाही पूर्ण खर्चों को सूची बद्ध करना, ऐसे खर्चों में कटौती करना एवं प्रबन्धन को कार्यवाही के लिये रिपोर्ट प्रेषित करना।
- 1- संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना। 2- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यों में सहयोग करना।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी/Post

1. कोषाध्यक्ष

uprfsc.gov.in/ferrate/chat/print_byelaws.aspx

3/4

2. महामंत्री
3. संस्थापक अध्यक्ष

आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Membership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष / Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड बैंक, पोस्ट ऑफिस, या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा, जिसका संचालन कोषाध्यक्ष या महामंत्री एवम संस्थापक अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के महामंत्री द्वारा अथवा उनके द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी। जिसकी समस्त सूचना एवं स्थिति अध्यक्ष को नियमानुसार दी जायेगी।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण (औडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
 - a) साधारण सभा / General Body.
 - b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टॉक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

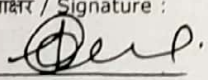
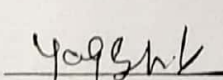


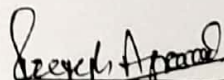
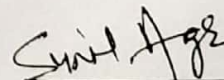
विघटन / Dissociation :

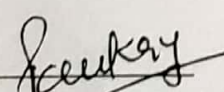
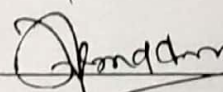
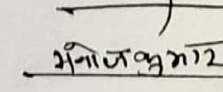
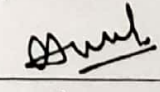
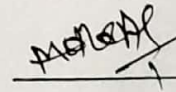
संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

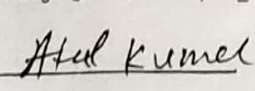
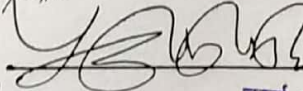
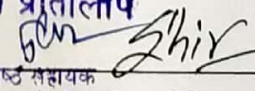
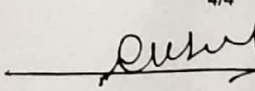
दिनांक / Date :-

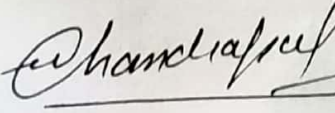
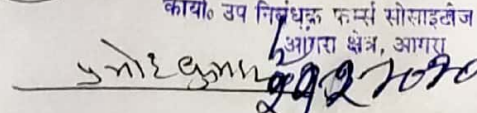
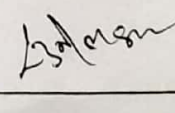
हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि
 वरिष्ठ सहायक
 कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
 आगरा क्षेत्र, आगरा
 2927070